फर्द अहकाम

(नियम 26)

तहसीलदार मुकाम महवा

सरकार बनाम सांवरमल मीणा पुत्र ~~[illegible]~~ रामदेवा (रामदेवा मीणा)

किस्म मुकदमा धारा 91 LR Act नं. 335 सन् 18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
~~28-2-18~~ 19/2/18	पटवारी हल्का की रिपोर्ट दर्ज कर अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 28-2-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	
28/2/18	पत्रावली आज पेश हुई। आवाज लगवाई गई। अतिक्रमी उपस्थित आया है। आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है पत्रावली दिनांक 8/3/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	रामनरा[illegible]
8/3/18	पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई। अतिक्रमी की ओर से [illegible] उपस्थित आया है। अतिक्रमी की ओर से उपस्थित गैरसायल द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया है अतः आदेश है कि ग्राम [illegible] भूमि से अतिक्रमी [illegible] किया जाता है [illegible] जाकर [illegible] (हस्ताक्षर)	रामनरा[illegible]

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 335/18 तारीख रजू 19/2/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का छोड़या ---- बनाम श्री सांवरमल ------पुत्र रामदेवा ---जाति मीना ---- निवासी पीतलियाबालाजी तहसील महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 08/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा ---- हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री ---सांवरमल--- ने ग्राम पीतलियाबालाजी की भूमि ख.न. 838 ------ रकबा 0.05 किस्म गैरमुमकिन रास्ता फसल रबि / खरीफ संवत 20 74 ---- में गेहुं ---- कर अतिक्रमण किया है । इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। ~~उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया~~ उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव मे कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नही किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. ---835--- रकबा 0.05 किस्म गैरमुमकिन रास्ता वाके ग्राम पीतलिया बालाजी से बेदखल किया जाता है । तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 2.20 का 50 गुणा ---110 रू.--- शस्ति से दण्डित किया जाता है । तथा इस पर खडी फसल---गेहुं---को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~नष्ट~~ / नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों । तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावें । पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/घ के पेज नं. 65 ....पर
वर्ष 2017-18 में पेनल्टी/फसल नीलामी
की राशि बकाया रुपये 110 रू. ......
की जमा कायमी की गई ।
दिनांक : 21/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील-महवा